

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 100 /2021


दिनांक 09.07.2021

श्रीमती स्वाति व्यास (RJ0833), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी) को दिनांक 16.08.2021 से 24.09.2021 तक 40 दिनों संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.08.2021 से 15.08.2021 एवं 25.09.2021 से 26.09.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रजनी मीणा (RJ1117), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी) को श्रीमती स्वाति व्यास के उनके अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / निभुक्त कर विभिन्न विधित्त निर्देश दिये जाने हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निम्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निम्तारण किया जावे।
2. श्रीमती रजनी मीणा (RJ1117), जिन्को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उनके न्यायालय के कार्य का निम्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 10% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08-07-2021

क्रमांक :- स्था.जी.र(4)/03/2015/ 4308

दिनांक 09.07.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पानी को उनके पत्रांक 1708 दिनांक 22.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती स्वाति व्यास (RJ0833), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी)।
5. श्रीमती रजनी मीणा (RJ1117), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण (पानी)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित निषेक/स्थानान्तरण-पदस्थापन विधिक, आर. जे. एम. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।


9.7.2021
सहायक रजिस्ट्रार